राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उ0प्र0

भवन सं0–23, सेक्टर–7, गोमती नगर विस्तार,
(निकट डायल–112), शहीद पथ, लखनऊ–226010
दूरभाष सं0–0522–2838081, 2838082
website-www.sudaup.org, ईमेलःpmusuda@gmail.com

पत्रांकः–1477 / 76 / 10 / छः / तक0 / विविध / 2022–23 TC II दिनांकः– 07-07-2022

सेवा में,

समस्त जिलाधिकरी / अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
उत्तर प्रदेश।

विषयः–नगर विकास विभाग के अन्तर्गत कराये जाने वाले निर्माण कार्यो की द्वितीय एवं तृतीय किश्त की धनराशि स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, नगर विकास अनुभाग–8, उ0प्र0 शासन के पत्रांकः–1235 / 9–8–2022 दिनांक 22.06.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा यह अवगत कराया गया है कि निर्माण कार्यो से सम्बन्धित द्वितीय या तृतीय किश्त की धनराशि स्वीकृत किये जाने हेतु प्रस्तावों को प्रेषित किये जाते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि संबंधित निर्माण कार्य के लेटेस्ट फोटोग्राफ तिथि सहित अवश्य उपलब्ध हों। यह फोटोग्राफ निर्माण कार्य के पूर्व, निर्माण कार्य के समय और निर्माण कार्य सम्पन्न होने के पश्चात संबंधित कार्यदायी संस्था के तकनीकी अधिकारी तथा विभाग के संबंधित प्रशासनिक अधिकारी के साथ संयुक्त रूप से निर्माण कार्य के बैकग्राउण्ड में खींचा गया हो। फोटोग्राफ पर संबंधित प्रशासनिक अधिकारी और तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षर भी तिथि सहित अंकित हो।

उक्त क्रम में पत्र की छायाप्रति संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया "मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत अनुदान संख्या–37 व 83 तथा एस0सी0एस0पी0 योजनान्तर्गत" अभिकरण मुख्यालय को पूर्व प्रेषित किये गये तथा भविष्य में प्रेषित किये जाने वाले द्वितीय / तृतीय किश्त के प्रस्तावों में उपरोक्त शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीया,
J. Rubha 07/07/2022
(जे0 रीभा)
अपर निदेशक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः–समस्त परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा), उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अभिकरण मुख्यालय को पूर्व प्रेषित किये गये तथा भविष्य में प्रेषित किये जाने वाले द्वितीय / तृतीय किश्त के प्रस्तावों में उपरोक्त शासनादेश का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

(जे0 रीभा)
अपर निदेशक

संख्या-1235/9-8-2022

प्रेषक,

डा0 इन्द्रमणि त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय)।
2- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
3- निदेशक, सूडा, उ0प्र0।
4- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
6- समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0।

नगर विकास अनुभाग-8 लखनऊः दिनांक 22 जून, 2022

विषयः- नगर विकास विभाग के अन्तर्गत कराये जाने वाले निर्माण कार्यों की द्वितीय एवं तृतीय किश्त की धनराशि स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-1145/9-8-2022, दिनांक 09 जून, 2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा नगर विकास विभाग के अन्तर्गत कराये जाने वाले निर्माण कार्यों की द्वितीय एवं तृतीय किश्त की धनराशि निर्गत किये जाने के संबंध में दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2- इस संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त उक्त शासनादेश दिनांक 09 जून, 2022 को अवक्रमित करते हुए अनुरोध है कि नगर विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित योजनाओं में निर्माण कार्यों से संबंधित द्वितीय या तृतीय किश्त की धनराशि स्वीकृति किये जाने हेतु प्रस्तावों को प्रेषित किये जाते समय यह सुनिश्चित किया जाय कि संबंधित निर्माण कार्य के लेटेस्ट फोटोग्राफ तिथि सहित अवश्य उपलब्ध हों। यह फोटोग्राफ निर्माण कार्य के पूर्व, निर्माण कार्य के समय और निर्माण कार्य सम्पन्न होने के पश्चात संबंधित कार्यदायी संस्था के तकनीकी अधिकारी तथा विभाग के संबंधित प्रशासनिक अधिकारी के साथ संयुक्त रूप से निर्माण कार्य के बैकग्राउण्ड में खींचा गया हो। फोटोग्राफ पर संबंधित प्रशासनिक अधिकारी और तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षर भी तिथि सहित अंकित हो।

3- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त के आलोक में ही वित्तीय स्वीकृति के प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराते हुए इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 इन्द्रमणि त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- निदेशक, सूचना विभाग, उ0प्र0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इसे दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(के0पी0 सिंह)
अनुसचिव

राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उ0प्र0
भवन सं0–23, सेक्टर–7, गोमती नगर विस्तार,
(निकट डायल–112), शहीद पथ, लखनऊ–226010
दूरभाष सं0–0522–2838081, 2838082
website-www.sudaup.org, ईमेलःpmusuda@gmail.com

पत्रांकः– 1477 / 76 / 10 / छः / तक0 / विविध / 2022–23 TC II   दिनांकः– 07-07-2022

सेवा में,

समस्त जिलाधिकरी / अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
उत्तर प्रदेश।

विषयः–नगर विकास विभाग के अन्तर्गत कराये जाने वाले निर्माण कार्यो की द्वितीय एवं तृतीय किश्त की धनराशि स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, नगर विकास अनुभाग–8, उ0प्र0 शासन के पत्रांकः–1235 / 9–8–2022 दिनांक 22.06.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा यह अवगत कराया गया है कि निर्माण कार्यो से सम्बन्धित द्वितीय या तृतीय किश्त की धनराशि स्वीकृत किये जाने हेतु प्रस्तावों को प्रेषित किये जाते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि संबंधित निर्माण कार्य के लेटेस्ट फोटोग्राफ तिथि सहित अवश्य उपलब्ध हों। यह फोटोग्राफ निर्माण कार्य के पूर्व, निर्माण कार्य के समय और निर्माण कार्य सम्पन्न होने के पश्चात संबंधित कार्यदायी संस्था के तकनीकी अधिकारी तथा विभाग के संबंधित प्रशासनिक अधिकारी के साथ संयुक्त रूप से निर्माण कार्य के बैकग्राउण्ड में खींचा गया हो। फोटोग्राफ पर संबंधित प्रशासनिक अधिकारी और तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षर भी तिथि सहित अंकित हो।

उक्त क्रम में पत्र की छायाप्रति संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया ''मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत अनुदान संख्या–37 व 83 तथा एस0सी0एस0पी0 योजनान्तर्गत'' अभिकरण मुख्यालय को पूर्व प्रेषित किये गये तथा भविष्य में प्रेषित किये जाने वाले द्वितीय / तृतीय किश्त के प्रस्तावों में उपरोक्त शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीया,

/
(जे0 रीभा)
अपर निदेशक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः–समस्त परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा), उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अभिकरण मुख्यालय को पूर्व प्रेषित किये गये तथा भविष्य में प्रेषित किये जाने वाले द्वितीय / तृतीय किश्त के प्रस्तावों में उपरोक्त शासनादेश का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

J. Rubha
01/01/2022
(जे0 रीभा)
अपर निदेशक